रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड IV
PART III—Section IV
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2003/चैत्र 6, 1925
No. 33] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2003/CHAITRA 6, 1925

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2003

फा. सं. 306-2/2003-इकॉन.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा, स्वयं को प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी आर ए आई), द्वारा उन टैरिफों को, जिन पर भारत में और भारत से बाहर, दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाएंगी, सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा, दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 में संशोधन करके, टी आर ए आई एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है।

दूरसंचार टैरिफ (छब्बीसवां संशोधन) आदेश, 2003
(2003 का क्रमांक 3)

खण्ड I

शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

1. लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

(i) इस आदेश को "दूरसंचार टैरिफ (छब्बीसवां संशोधन) आदेश, 2003" कहा जाएगा।

(ii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

खण्ड– II

2. दूरसंचार टैरिफ (चौबीसवां संशोधन) आदेश 2003 की अनुसूची I और II में "1 अप्रैल 2003" तारीख जहां कहीं भी आ रही हो उसे मिटा कर उसके स्थान पर " 1 मई 2003" तारीख प्रतिस्थापित की जाएगी ।

खण्ड III

3. व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस आदेश में विनिर्दिष्ट टैरिफों को स्पष्टता और पारदर्शिता देने के निमित्त अनुलग्नक "क" के रूप में, एक व्याख्यात्मक ज्ञापन शामिल है।

आदेशानुसार,
डा० रूपा आर जोशी, सलाहकार (आर्थिक)

अनुलग्नक - क

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. इस व्याख्यात्मक ज्ञापन का उद्देश्य इस संशोधन याने टी टी ओ 1999 के 26वें संशोधन की पृष्ठभूमि पर ध्यान दिलाता है । प्रधिकरण ने 24वां संशोधन 24.1.2003 को अधिसूचित किया था। इसके द्वारा सेवा प्रदाताओं को अपेक्षित मानक टैरिफ पैकेज को लागू, और साथ ही, 24.1.2003 को अधिसूचित 'आई यू सी ' विनियम को 1 अप्रैल 2003 से प्रभावी भी करना था ।

2. 10 से 24 मार्च 2003 के दौरान, सेवा प्रदाताओं से विभिन्न प्रकार की प्रस्तावित वैकल्पिक टैरिफ योजनाएं हमें मिलीं। इन पर विस्तार से विचार-विमर्श/संशोधन आदि जरूरी है। इन्हें संबंधित सेवा प्रदाताओं को बता दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि वे इन्हें 'टी टी ओ' के 24वें संशोधन की व्यवस्थाओं के अनुरूप करके, और 'आई यू सी ' व्यवस्था से सुसंगत बनाकर, इन टैरिफ योजनाओं को प्रस्तुत करें। उपरोक्त के अलावा, यह भी एक तथ्य है कि, टी टी ओ के 24वें संशोधन में वर्णित मानक टैरिफ के अनुसरण में, और इसके परिणामस्वरूप प्रस्तावित वैकल्पिक टैरिफ योजनाओं से उपलब्ध विकल्पों के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी देना आवश्यक है, प्राधिकरण ने अनुभव किया कि विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत विविध योजनाओं की काफी समय रहते अंत्य उपभोक्ता याने 'एंड यूजर'

' को सूचना देना उपभोक्ताओं के हित में होगा, यह अपेक्षा की गई कि सारी ही टैरिफ योजनाएं 3.4.2003 तक प्राधिकरण को भेज दी जाएं ताकि वे 1.5.2003 तक लागू हो सकें ।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि, कार्यान्वयन की संशोधित तारीख अब 1.5.2003 होगी। सभी सेवा प्रदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे, 'टी टी ओ.' के 24वें संशोधन तथा आई यू सी विनियम से सुसंगत अपनी टैरिफ योजनाएं 3.4.2003 तक प्राधिकरण को भेज दें ताकि वे 1.5.2003 तक कार्यान्वित हो सकें ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2003

No. 306-2/2003-Econ.—In exercise of the powers conferred upon it under Sub-section (2) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 as amended by TRAI (Amendment) Act, 2000, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby makes the following order by an amendment to the Telecommunication Tariff Order, 1999 by notification in the Official Gazette, in respect of tariffs at which Telecommunication Services within India and outside India shall be provided :

THE TELECOMMUNICATION TARIFF (TWENTY SIXTH AMENDMENT) ORDER 2003
(3 of 2003)

Section I

Title, Extent and Commencement

1. Short title, extent and commencement:

(i) This Order shall be called "The Telecommunication Tariff (Twenty Sixth Amendment) Order 2003".

(ii) The Order shall come into force from the date of its notification in the Official Gazette.

Section II

2. In Schedule I & II of the Telecommunication Tariff (24th Amendment) Order, 2003, the date "1 April, 2003" wherever it appears in these schedules shall be deleted and substituted by the date 1st May, 2003.

Section III

3. Explanatory Memorandum

This Order contains at Annex A, an explanatory memorandum to provide clarity and transparency to the tariffs specified in this Order.

By Order,

DR. ROOPA R. JOSHI, Advisor (Economic)

Annex "A"

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The objective of this Explanatory Memorandum is to put in focus the background for this Amendment i.e. 26th Amendment to TTO, 1999. The Authority had notified the 24th Amendment to TTO on 24.1.2003 wherein service providers were to implement the requisite Standard Tariff Package with effect from 1st April, 2003 while also bringing into effect the IUC regime notified under the IUC Regulation, 2003 notified on 24.1.2003 to be implemented from 01.04.2003.

2. The various proposed alternative tariff plans have been received from service providers during the period 10th to 24th of March, 2003 and need detailed consideration / revision. These have been communicated to the service providers concerned and they have been required to file tariff plans in consonance with the IUC regime to the Authority complying with the provisions of the 24th Amendment to the TTO. In addition to the above, the fact that consumers need to be informed on the choices available pursuant to the contours of the Standard Tariff Plan outlined in 24th Amendment to TTO and the consequent alternative tariff plans, the Authority felt that it would be in the interests of the consumers that end users are informed well in advance about the various plans by different service providers, for which all tariff plans should be filed with the Authority by 03.04.2003 to be implemented by 01.05.2003.

3. In view of the above, the Authority has decided that the revised date of implementation would now be 01.05.2003. All service providers are required to provide their tariff plans to the Authority in conformity with the 24th Amendment to TTO & IUC Regulation by 03.04.2003 for implementation on 01.05.2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.